FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखविन्द्र कौर **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 25 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.02.2023	वादिया सुखविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति महजबी सिख निवासी 51 एफ लालबाई तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादपत्र के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु पत्र लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.02.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
27/02/23	बार संघ का कार्य स्थगित है। श्रीमान PO महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20/03/2023 को पेश हो Kamal	
20/3/23	बार संघ का कार्य स्थगित है। TDR KPR से रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल मिसल रहे। पत्रावली दिनांक 27/03/23 को पेश हो Kamal	
27/3/23	वादिया अधिवक्ता उपस्थित। वादिया सुखविन्द्र कौर स्वयं उपस्थित आया। श्रीमान PO महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/3/23 को पेश हो Kamal	सुखविन्दर कौर
29/3/23	वादिया अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। डिक्री इस आशय का जारी डिक्री की एक प्रति TDR KPR को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखविन्द्र कौर **बनाम** राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर
अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 25 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.02.2023	वादिया सुखविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति महजबी सिख निवासी 51 एफ लालबाई तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादपत्र के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु पत्र लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.02.2023 को पेश हो।	
27/02/23	बार संघ का कार्य स्थगित है। श्रीमान PO महोदय अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20/03/2023 को पेश हो Kamal	
20/3/23	बार संघ का कार्य स्थगित है। TDR KPR से रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल मिसल रहे। पत्रावली दिनांक 27/03/23 को पेश हो Kamal	
27/3/23	वादिया अधिवक्ता उपस्थित। वादिया सुखविन्द्र कौर स्वयं उपस्थित आया। श्रीमान PO महोदय अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 29/3/23 को पेश हो Kamal	सुखविन्द्र कौर
29/3/23	वादिया अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादिया का दावा स्वीकार किया जाता है। पृथक डिक्री इस आशय का जारी हो। डिक्री की एक प्रति TDR [illegible] पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 25/2023 GCMS 2023/20

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. सुखविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति महजबी सिख निवासी 51 एफ लालबाई तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 16.02.2023

उपस्थितः 1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 29.03.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 61 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 6.199 हेक्टैयर भूमि में से वादिया के नाम 0.775 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जमाबन्दी में वादिया का नाम प्रकाश कौर पुत्री सोहन सिंह जाति महजबी सिख निवासी 61 एफ दर्ज है। जबकि वादिया का सही नाम सुखविन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति महजबी सिख निवासी 51 एफ लालबाई तहसील श्रीकरणपुर है। वादिया के तमाम दस्तावेजात आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, में नाम सुखविन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिंह अंकित है। राजस्व अभिलेख में वादिया के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादिया को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। उक्त संशोधन के लिए वादी ने तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर व अन्य राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो के समक्ष निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवाने हेतु हिदायत दी। इस कारण वाद-हेतुक की उत्पति से वाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 61 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 17/17 के मुरब्बा नम्बर 3 की कुल 6.199 हेक्टैयर भूमि में से वादिया के नाम 0.775 हेक्टैयर भूमि में वादिया का नाम प्रकाश कौर पुत्री सोहन सिंह के स्थान पर सुखविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह किए जाने के आदेश दिए जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 671 दिनांक 01.03.2023 से रिपोर्ट प्राप्त [illegible] रिकॉर्ड के अनुसार चक 61 एफ ए की जमाबन्दी के खाता संख्या 17 में 0.775 हेक्टेयर [illegible] भूमि प्रकाश कौर पुत्री सोहन सिंह जाति महजबी दर्ज है, जो कि विरासतन प्राप्त हुई है। [illegible] में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका तैयार किया गया। लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि शादी से पहले सुखविन्द्र कौर का नाम प्रकाश कौर था शादी के बाद में ससुराल में सुखविन्द्र कौर कर दिया गया। प्रकाश कौर व सुखविन्द्र कौर एक ही औरत के नाम है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादिया, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादिया अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:16 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व)

विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/17 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, कक्षा 10 वीं की अंकतालिका की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादिया द्वारा चक 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/17 में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम प्रकाश कौर पुत्री सोहन सिंह के स्थान पर सुखविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह अंकित किए जाने बाबत निवेदन किया है। वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में नाम सुखविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 61 एफ ए की जमाबन्दी के खाता संख्या 17 में 0.775 हेक्टैयर नहरी भूमि प्रकाश कौर पुत्री सोहन सिंह जाति महजबी दर्ज है, जो कि विरासतन प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एंव फर्द मौका तैयार किया गया एंव लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि शादी से पहले सुखविन्द्र कौर का नाम प्रकाश कौर था बाद में ससुराल में सुखविन्द्र कौर कर दिया गया। प्रकाश कौर व सुखविन्द्र कौर एक ही औरत के नाम है। सरपंच ग्राम पंचायत 61 एफ के द्वारा जारी पुष्टि प्रमाण पत्र के मुताबिक सुखविन्द्र कौर उर्फ प्रकाश कौर पुत्री सोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह जाति महजबी सिख निवासी चक 61 एफ वर्तमान पता गांव 51 एफ लालबाई तहसील श्रीकरणपुर की स्थाई निवासी है। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अतः वाद पत्र वादिया, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादिया के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/17 में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम प्रकाश कौर पुत्री सोहन सिंह के स्थान पर प्रकाश कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर / लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:16 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुखविन्द्र कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर **25/2023**

निर्णय दिनांक :- 29.03.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 61 एफ ए, पटवार हल्का 61 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 17/17 में क्रम संख्या 5 पर अंकित नाम प्रकाश कौर पुत्री सोहन सिंह के स्थान पर प्रकाश कौर उर्फ सुखविन्द्र कौर पुत्री सोहन सिंह पत्नी सुखदेव सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 29.03.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	02	**00**	**योग**	**00**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

दिनांक: 29.03.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/167

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:46:16 IST
Reason: SelfAttested